पत्र संख्या–सी0आर0को0–320/2012..17121./

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–14.12.12

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय संकल्प सं0–7328 दिनांक–09.09.2002 एवं 8536 दिनांक–06.10.2004 का कृपया संदर्भ किया जाय।

इन पत्रों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आलेखन के संबंध में विस्तृत निदेश संसूचित किये गये है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष (अप्रील से मार्च तक) की समाप्ति के पश्चात् आगामी 30 सितम्बर तक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के आलेखन की प्रक्रिया अवश्य पूरी कर ली जाय। इसके बावजूद समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध नहीं है। फलतः इन पदाधिकारियों की प्रोन्नति आदि के मामलों में कार्रवाई करने में सरकार को कठिनाई हो रही है। राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है एवं यह भी पाया गया है कि इसका मुख्य कारण संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक अपने प्रतिवेदक प्राधिकार को समर्पित नहीं करना अथवा प्रतिवेदक/समीक्षी प्राधिकार के स्तर पर गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आलेखन का कार्य लंबित रहना है।

विदित है कि उपरोक्त विभागीय संकल्प एवं परिपत्र के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के के आलेखन की निम्न प्रक्रिया विहित है –

1. संबंधित पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष (अप्रील से मार्च तक) की समाप्ति के बाद स्वमूल्यांकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक 30 अप्रील तक अपने प्रतिवेदक प्राधिकार को समर्पित किया जाना है।

2. प्रतिवेदक प्राधिकार द्वारा 15 जुलाई तक उसे नियंत्री पदाधिकारी के रूप में आलेखित कर समीक्षी प्राधिकार को भेजते हुए इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना है।

3. समीक्षी प्राधिकार द्वारा अभ्युक्तियों का आलेखन कर 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधान विभाग) को उपलब्ध कराया जाना है।

4. संबंधित प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक 30 अप्रील तक अपने प्रतिवेदक प्राधिकार को समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर गोपनीय अभ्युक्ति के विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर प्रतिवेदक पदाधिकारी के समक्ष अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु 30 मई तक उपस्थापित/प्रेषित किया जाना है।

5. प्रतिवेदक प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुरूप अभ्युक्ति अंकित नहीं करने की स्थिति में समीक्षी प्राधिकार द्वारा अभ्युक्ति सीधे अंकित की जायेगी। इसके लिए प्रशासी विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त स्वमूल्यांकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक विवरणी की प्रति समीक्षी प्राधिकार को भेजी जायेगी। समीक्षी प्राधिकार उक्त वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात का उल्लेख करगें की प्रतिवेदक प्राधिकार द्वारा ससमय अभ्युक्ति का अभिलेखन नहीं किया गया है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित समय सीमा के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (वर्ष 2010–11 से प्रभावी) आलेखित करने एवं लंबित अभ्युक्तियाँ विभाग को भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार)

प्रधान सचिव।